



## मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मेट्रो प्लाजा, 5वाँ तल,ई-5, अरेरा कॉलोनी, बिह्न मार्केट, भोपाल-462016  
फोन-0755-2463585, फैक्स-2981055

ई-मेल- secretary@mperc.nlc.in वेबसाईट : www.mperc.in

क्रमांक : म.प्र.वि.नि.आ./डी(एल एण्ड आर)/2021/23

भोपाल, दिनांक : 08/01/2021

### आम-सूचना

मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड ने भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री कुसुम) योजना के घटक 'अ' के अंतर्गत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली की बिक्री के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 86 (1) (ई), धारा 61 (एच) सहपठित मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण-1) विनियम, 2010 के तहत फीड-इन-टैरिफ के निर्धारण के लिए एक याचिका दायर की है।

इस प्रकरण में जन-सुनवाई का आयोजन आयोग के नोटिस क्रमांक-म.प्र.वि.नि.आ./1514 भोपाल, दिनांक 22/12/2020 के माध्यम से दिनांक 09/02/2021 को प्रातः 11:00 बजे किया गया था। जन सुनवाई की दिनांक को पुनर्निधारित कर 19/01/2021 प्रातः 11:00 बजे किया गया है।

समय सीमा में अपने लिखित विचार, टीप, आपत्तियाँ अथवा सुझाव प्रस्तुत करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. आयोग को भेजकर, उक्त जन सुनवाई हेतु आयोगकी वेबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेश से

सचिव